कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः— 985 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 31, अगस्त, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग।

विषय — विधानसभा गंगोलीहाट लिंक मार्ग बानड़ी से चकाधार, धरमोली घांघल सुकना मोटरमार्ग लम्बाई 5 किमी0 ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या 149823/2021 में कमियों/त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तारण प्रस्ताव की जॉच करने उपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी है, जो कि निम्नवत हैं।

(1).परियोजना हेतु गठित प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.28 (भू गर्भीय निरीक्षण आख्या) के अनुसार यह समरेखण 5 कि0मी0 की लम्बाई में प्रस्तावित है परन्तु भू वैज्ञानिक की आख्या एव ग्रामवासियों के साथ किये गये सर्वे के अनुसार मार्ग 4.32 कि0 मी0 की लम्बाई तक निर्माण किया जाना उपयुक्त होना बताया गया है ।

अतः यह स्पष्ट करे मार्ग की 5 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जायेगा, अथवा 4.32 कि0मी0 की लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

(2).आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 20 3.2 (वन अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति गंगोलीहाट) में उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्य उपप्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग के हस्ताक्षर कराते हुये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(3).आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रांरूप 13 (performa for comparison between alignments) के अनुसार चयनित /वैकल्पिक समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 468 दिखायी गये हैं, जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 6 (प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण का प्रारूप) के अनुसार चयनित समरेखण में प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या 62 एव वैकल्पिक समरेखण में प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या 80 दर्शायी गयी है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

(4).आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या 2.19 (certificate for muck displant) में जो muck disposal plan का आंकलन किया गया है, वह राम मंदिर से सिराड़ी प्राइमरी स्कूल थथोली, ससपोडा मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0 के लिये किया गया है। अतः प्रस्तावित मार्ग बानड़ी से चकाधार, धरमोली घांघल सुकना मोटरमार्ग हेतु muck disposal plan तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करना सुनिश्चित करें।

(5).भारत सरकार के आदेश सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के आधार पर एन0पी0वी0 का आंकलन करते हुये वन क्षेत्राधिकारी से सत्यापित कर प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव ससमय इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।